7.2.2018

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251(क) का पेश कर निवेदन किया कि आवेदिका खसरा नं0 321 व336 कुल किता-2 रकबा 3.09 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है। जिसके दूसरी तरफ दूसरे राजस्व ग्राम का कोकड(सींव) तथा दूसरा खसरा नं0 335, 323 व320 हैं। आवेदिका के खेत खसरा नं0 321 व 336 के कोई रास्ता नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक ख0नं0 318 व 319 पर आने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। आवेदिका के खेत में आने जाने के लिये सबसे कम दूरी का रास्ता ख0नं0 323 व 320 में से होकर ही है जो दिया जावे। अप्रार्थी सं0-1 से 9 ख0नं0 316 व 320 के तथा अप्रार्थी सं0-10 ख0नं0 317, 318, 322, 323 के खातेदार है। जिसमें ख0नं0 318 गै0मु0 सडक दर्ज है इस प्रकार व आवेदीका को उसके खेत में आने जाने के लिये रास्ता दिये जाने के लिये अप्रार्थी सं0-1 से 9 की आराजी ख0नं0 320 व अप्रार्थी सं0-10 की आराजी ख0नं0 323 में से रास्ता दिया जा सकता अप्रार्थी संख्या-1 से 10 ने आवेदिका एवं उसके पति को खेत में आने जाने से मना करन पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे अदालत मातहत ने स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं एवं पत्रावली है। अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र राज0 टिनेन्सी(गवर्मेन्ट(रूल्स के मुताबिक पेश नहीं किया गया। अदालत मातहत ने धारा-251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय दिया है। अदालत मातहत में

बन्द किया ।अर्थात अपीलान्ट का बिना जबाब लिये ही आदेश पारित किया है ।प्रकरण में बिना बहस सुने आदेश पारित किया गया है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट के खेत में से रास्ता दिये जाने का आदेश विधि के विपरित पारित किया है ।अपीलान्ट की उपस्थिति में कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई गई है। अदालत मातहत ने प्रकरण का निर्णय कैम्प में किया है जिसकी सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई।अत: अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस बगौर समाहत की गई ।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस बगौर समाहत की गई । विद्वान वकील अपीलान्ट का मुख्य तर्क रहा कि मौके की रिपोर्ट तहसीलदार ने पटवारी से मंगाई है। जबकि धारा-251(क)राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भू-अभिलेख निरीक्षक से नीचे के अधिकारी से मौके की रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती जिसके समर्थन में आरआरटी 2017(1)पेज 342 एवं आरआरटी 2017(2) पेज-1088 पेश की है ।पत्रावली के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अपने पत्रांक 1229 दिनांक 6-6-2016 में स्पष्ट दर्ज किया है कि पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर ही अपनी रिपोर्ट भिजवाई है जो धारा-251(क) के राज0 काश्तकारी अधिनियम के बिन्दू सं0-69 के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षक से नीचे की रैंक के अधिकारी से नहीं मंगाई जा सकती। अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । जबकि धारा-251(क)राज0काश्त

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के नीचे की रैंक के अधिकारी से रिपोर्ट नहीं मंगवाई जावे इस विषय बिन्दू पर न तो तहसीलदार ने गौर किया और न ही अदालत मातहत ने निर्णय के समय गौर किया ।जो एक महत्वपूर्ण बिन्दू है ।अत: हम अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है जिसमें मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई जाकर अपना निर्णय पुन: पारित करें । अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 29-9-16 खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाकर अपना निर्णय पुन: पारित करे । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 5-3-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 7/2/18 (भंवरलाल सेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	